न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण/सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र संख्या 05/24 **वर्ष 2024**

बउनवानीः—सोराम पुत्र जग्गा गुर्जर निवासी मोरडा मरवा जिला दूदू जयपुर

बनाम

1. सरकार जरिये थानाधिकारी थाना रवॉजना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र विरूद्व मुकदमा संख्या 285/23 थाना रवॉजना डूँगर, अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय पशुवध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन नियम 1995)

उपस्थितः—श्री कमलेश गुर्जर वकील प्रार्थी

श्री तोफिक मोहम्मद पैरोकार

—:निर्णय :— **दिनांकः— 14.2.2023**

वकील प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि राजू पुत्र देवाजी गुर्जर निवासी बुढेरा ने अपने 4 नन्दी को अपने गांव ले जाने के लिए प्रार्थी के वाहन संख्या नम्बर RJ26GA5476 को किराये पर लिया गया था। प्रार्थी उक्त 4 नन्दी लेकर दिनांक 12.12.2023 को उक्त वाहन से ग्राम आवदा व पचेवर जिला टोंक से बुढेरा लेकर जा रहा था किन्तु श्री सुग्रीव चौधरी गो सेवा दल कुश्तला की सूचना पर उक्त वाहन मे क्षमता से अधिक गो वंश भरकर गोकशी के लिए ले जाने का निराधार आरोप लगाते हुए पुलिस थाना रवॉजना डूँगर द्वारा उक्त वाहन एवं गोवंश को जब्त कर लिया है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त 4 नन्दी मे से दो नन्दी हीरालाल पुत्र बिजू माली निवासी ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा टोंक क्रमश 20,000/—रू एवं 15,000/—रू मे तथा अन्य दो नन्दी रामचरण पुत्र बिरधा जाट निवासी आवडा तहसील मालपुरा जिला टोंक से 55,000/—रू मे खरीद कर लाये गये है। प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में हीरालाल व रामचरण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सवाईमाधोपुर से तलब की गयी रिपोर्ट में भी उक्त नन्दी को प्रजनन हेतु ले जाया जाना बताया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बुढेरा द्वारा भी राजू के परिवार गो पालन करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चूंकि प्रार्थी राजू उक्त नंदी प्रजनन हेतु लेकर जा रहा था इसलिए उक्त जब्त की गयी पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ26GA5476 को प्रार्थी की सुपुदर्गी में दिये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैराकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि थानाधिकारी रवॉजना डूँगर द्वारा दिनांक 12.12.2023 को जब्त किये गये उक्त 4 नन्दी को लेकर जाने से संबंधित कोई परमिट प्रार्थी के पास नही है किन्तु पशुपालन विभाग सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट में उक्त नंदी नस्ल सुधार हेतु प्रजनन के लिए लेकर बताया गया है तथा नंदी के विक्रेताओ के शपथ पत्र एवं प्रार्थी की ग्राम पंचायत बुढेरा का प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त नन्दी गोकशी के लिए नही ले जाये जा रहे है इसलिए पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ26GA5476 को जमानत पर प्रार्थी की सुपुदर्गी मे दिया जाना उचित होगा।

उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग सवाईमाधोपुर से तलब की गयी रिपोर्ट में उक्त 4 नन्दी प्रार्थी राजू द्वारा प्रजनन हेतु खरीद कर ले जाना बताया गया है। इसलिए पुलिस द्वारा प्रार्थी पर लगाये गये गोकशी के आरोप प्रमाणित नही होते है। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी राजू पर लगाये गये आरोप ही प्रमाणित नही होते है तो प्रार्थी के उक्त वाहन का पुलिस अभिरक्षा मे रखा जाना उचित नही है। इसलिए प्रार्थी सोराम के वाहन संख्या RJ26GA 5476 Chasis No. MA1ZR2TBKJ5J15914, Engin No.TBJ4H88[illegible] 2020 पिकअप को बिना किसी शर्त के प्रार्थी की सुपुदर्गी मे दिया जाता है। [illegible] थानाधिकारी रवॉजना डूँगर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसला [illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। निर्णय आज [illegible] न्यायालय मे सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:08:13 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner